


तारीख  
हुक्म

नम  
अहम  
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जम  
कापाली उपखण्ड (प्रा.न.क.) कक्षा  
पैशी रोल बनाद साविका 27/6/19 को  
दिनांक 19-3-19

12/2/19

पत्रावली पेश हुई समय पक्ष उपस्थित/अभिभाषक  
द्वारा कार्यस्थगित करने का अनुरोध किया/स्वीकार  
किया जाता है पत्रावली दिनांक 19/3/19 को पेश ।

  
उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा

19-3-19

पत्रावली पेश हुई समय पक्ष उपस्थित पिठासीन  
अधिकारी का स्थानान्तरण/दौरे अवकाश में पधार  
है/अन्य राजकार्य में व्यस्त है/अतः अवकाश  
पत्रावली साविक आदेश दिनांक.....को पेश हो।

2-5-19

आज्ञा से  
रीडर

2-5-19

पत्रावली पेश हुई समय पक्ष उपस्थित पिठासीन  
अधिकारी का स्थानान्तरण/दौरे अवकाश में पधारें  
है/अन्य राजकार्य में व्यस्त है/अतः अवकाश  
पत्रावली साविक आदेश दिनांक.../...को पेश हो।

27/6/19


आज्ञा से  
रीडर

27.06.2019

पत्रावली पेश हुई। वादीया अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली का  
अवलोकन किया गया। प्रकरण वर्ष 2017 से लम्बित होकर  
आज वादीया पक्ष को प्रस्तुत करने विपक्षी क्रम 1 के नवीन  
पते पर भरकर सम्मन प्रोसस हेतु नियत है। यानि प्रकरण  
विगत 2 वर्षों से विपक्षी की तलबी चरण पर विचाराधीन है।  
जो कि न्यायिक दृष्टी से बेहद खेदजनक है। पैशी दर पैशी  
निरन्तर वादीया पक्ष को उपरोक्त प्रतिपूर्ति बाबत स्मरण  
कराया जाता रहा है। एक ही विषय को लेकर बार बार  
स्मरण कराया जाना भी उचित नहीं है। दस सन्तर्भ में और

अतिरिक्त अवसर दिये जाने का भी कोई संतोषप्रद कारण वादी द्वारा आज सुनवाई के दौरान सुझाया नहीं गया है। एक ही चरण पर पत्रावली को निरन्तर सुनवाई पर चलाये जाने से न्यायालय का समय व श्रम दोनों जाया होता है। उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र अन्तर्गत धारा आदेश 09, नियम 05 सी.पी.सी. के तहत, वादीया पक्ष की गैर अनुपालना में खारिज किये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें।

पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

  
उपखण्ड अधिकारी  
बनेड़ा जिला भीलवाडा